न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

रा/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2017/3426

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि०
द्वारा आज दि. 21-9-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-9-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. गोरेलाल तनय रटठी ढीमर आयु 36 वर्ष
2. मुन्ना लाल तनय रटठी ढीमर आयु 38 वर्ष
3. विन्दा तनय किशोरा ढीमर आयु 55 वर्ष
4. गिरधारी तनय बल्दा ढीमर आयु 50 वर्ष
5. अजुददी तनय बल्दा ढीमर आयु 53 वर्ष
6. राजू तनय विन्दा ढीमर आयु 31 वर्ष
7. जानकी तनय विन्दा ढीमर आयु 27 वर्ष
8. नंदलाल तनय गिरधारी ढीमर आयु 25 वर्ष
9. कल्ला तनय अजुददी ढीमर आयु 28 वर्ष

समस्त निवासीयान तमौरा तहसील बल्देवगढ़ जिला--टीकमगढ़ म0प्र0

.....निगराकारगण / आवेदकगण

प्रदीप श्रीवास्तव एड.
Shrivastav
21-9-2017

विरूद्ध

1. विक्रम सिंह तनय करन सिंह यादव आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम बडाघाट तहसील बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़ म0प्र0
2. राममिलन तनय प्रेमलाल यादव आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम व तहसील खरगापुर जिला–टीकमगढ़ म0प्र0

C.F
29/9/17

....प्रतिनिगराकारगण / अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू.संहिता 1959

निगरानी प्रतिकूल राजस्व निरीक्षक मण्डल डारगुंवा तहसील बल्देवगढ़ जिला--टीकमगढ़ म0प्र0 के प्रकरण क्र. 84/अ–12/16–17 आदेश दिनांक 22.07.2017 के विरूद्ध जिसमे निगराकारगण को बिना सुनें सीमांकन आदेश पारित किया गया से क्षुब्ध होकर

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

1. यह कि निगराकारगण के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि खसरा नंबर 9/2 है

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –एक/ निग./टीकमगढ़/भू.रा./2017/3426

गोरेलाल आदि **विरूद्ध विक्रम सिंह व अन्य**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल डारगुवा, तहसील बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 84/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 22-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 07-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 26/4/19 (आर.के. जैन) सदस्य	